न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 216/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. बशीर पुत्र रूस्तम जाति मेव निवासी ग्राम कहरानी तह0 तिजारा जिला अलवर राजस्थान

2. रूजदार पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्राम कहरानी तह0 तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलार्थीगण

बनाम

1 मंजू धर्मपत्नि जगत गूर्जर जाति गूर्जर निवासी ग्राम नंगलिया तह0 तिजारा जिला अलवर राजस्थान

2 शोभा धर्मपत्नि श्याम लाल गूर्जर जाति गूर्जर निवासी ग्राम नंगलिय तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

3 पांचील देवी धर्मपत्नि मामचन्द गूर्जर निवासी ग्राम भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:-- असल प्रत्यार्थीगण

4 तहसीलदार तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर

5 राजाराम यादव पुत्र रतीराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सिलपटटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:---- तरतीबी प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,तिजारा

दिनांक 11.7.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रवि गुप्ता

2. वकील रेस्पो० सं० 3 :- श्री आनन्द सिंह

3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 1.8.2019

--------- ---------------

1 प्रस्तुत अपील में आगामी तारीख पे शी दिनांक 13.8.2019 नियत थी, परन्तु पक्षकारान द्वारा दिनांक 1.8.2019 को राजीनामा प्रस्तुत करने पर पेशी पर ली गई तथा राजीनामा पर गौर करने के उपरान्त आज दिनांक 1.8.2019 को अपील का निस्तारण किया जा रहा है ।

2 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 258/15 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.7.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त तकासमा का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया गया है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 408 रकबा 1.05 हे० व 409 रकबा 0.59 हे० कुल किता 2 रकबा 1064 हे० वाके ग्राम कहरानी तहसील तिजारा में वादीगण व असल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है । विवादित आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 408 रकबा 1.05 हे० में वादी संख्या 1 का 1/4 भाग, वादी संख्या 2 का 1/4 भाग तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 भाग और असल प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 भाग तथा आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.59 हे० में वादी संख्या 3 का 1/2 भाग तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 भाग और असल प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 भाग है । इसी हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया और मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । आराजी खसरा नम्बर 408 में वादी संख्या 3 पांची देवी का कोई हक व हिस्सा नहीं है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 409 में वादी संख्या 1 व 2 मंजू व शोभा का कोई हक हिस्सा नहीं है । अब हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है । अतः मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण कर दिया जावे ।

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अगर अपीलांट की अपील का निस्तारण मुताबिक राजीनामा कर दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा पर गौर किया । चूंकि उक्त राजीनामा पर कार्यवाही तहत न्यायालय द्वारा ही की जानी है । ऐसी स्थिति में हम राजीनामा पर गौर कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहत को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.7.2017 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया ज़ाता है कि वो पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा पर गौर करते हुये सी0 पी0 सी0 में राजीनामा के सम्बन्ध में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 2.9.2019 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति के साथ मूल राजीनामा तहत न्यायालय को भिजवाया जावे तथा उसकी प्रमाणित प्रति अदालत हाजा की अपील पत्रावली में संलग्न की जावे ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner